(15.06.2012) प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

युगलपीठ

कोरम: **माननीय श्री राजीव गुप्ता, मुख्य न्यायाधीश एवं**

माननीय श्री रंगनाथ चंद्राकर, न्यायाधीश

विविध अपील (प्रतिकर) क्रमांक 522/2007

अपीलार्थीगण:

1. सुखू राम, पिता शिव सिंह ठाकुर, आयु लगभग 45 वर्ष,
2. श्रीमती हरीश बाई, पति सुखू राम, आयु लगभग 40 वर्ष,

दोनों निवासी ग्राम अबराई, थाना एवं तहसील कसडोल, जिला रायपुर, छ.ग.

बनाम

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

प्रत्यर्थीगण :

1. मान सिंह, पिता बरातु राम धोबी, आयु लगभग 38 वर्ष, जाति धोबी, निवासी ग्राम पिपरछेड़ी, एवं तहसील कसडोल, जिला रायपुर, छ.ग.
(चालक)

2. मनोहर सिंह, पिता अमर सिंह, निवासी सड़क 31बी, क्वार्टर नंबर 3 डी, सेक्टर-7, भिलाई, जिला दुर्ग, छ.ग.
(मालिक)

3. टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस कंपनी, कॉर्पोरेट ऑफिस, अहुरा सेंटर, चौथी बिल्डिंग, 82 महाकाली, केबिस रोड, अंधेरी, मुंबई; शाखा भिलाई, जिला दुर्ग, छ.ग.
(बीमाकर्ता)

मोटर यान अधिनियम की धारा 173 के तहत अपील का ज्ञापन

उपस्थित: श्री दीपक जैन, अपीलार्थीगण के अधिवक्ता।

श्री अभिषेक सिन्हा, प्रत्यर्थी क्रमांक 3 के अधिवक्ता।

आदेश (15 जून, 2012)

न्यायालय का निम्नलिखित आदेश राजीव गुप्ता, मुख्य न्यायाधीश द्वारा उद्घोषित किया गया:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

1. मृतक निर्मल कुमार के दुर्भाग्यशाली माता-पिता हमारे समक्ष इस अपील में अपीलार्थी हैं, जो दावा प्रकरण क्रमांक 21/2006 में प्रथम अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, बलौदा बाजार, जिला रायपुर (संक्षेप में 'अधिकरण') द्वारा पारित अधिनिर्णय दिनांक 26.12.2006 के माध्यम से प्रदान किए गए प्रतिकर में वृद्धि की मांग कर रहे हैं ।

2. अपीलार्थीगण/दावेदारों, जो मृतक निर्मल कुमार के दुर्भाग्यपूर्ण माता-पिता हैं, जिनके द्वारा दिनांक 19.08.2005 को मोटर दुर्घटना में उनकी मृत्यु के लिए मोटर यान अधिनियम की धारा 166 के तहत दावा याचिका दायर करके 13,05,000/- रुपये के प्रतिकर का दावा किया गया था, जिसके विरुद्ध अधिकरण ने कुल 1,70,000/- रुपये की राशि प्रतिकर के रूप में, दावा याचिका दायर करने की तिथि से वास्तविक भुगतान की तिथि तक 7% प्रति वर्ष की दर से ब्याज सहित प्रदान की।

3. अधिकरण ने अपने समक्ष प्रस्तुत संपूर्ण साक्ष्यों की सूक्ष्म विवेचन पर यह माना कि मृतक निर्मल कुमार की मृत्यु दिनांक 19.08.2005 को मोटर

दुर्घटना में लगी चोटों के कारण हुई; दुर्घटना अपघाती होंडा स्प्लेंडर मोटरसाइकिल क्रमांक सी.जी.07-जी/4074 के चालक द्वारा उतावलेपन और उपेक्षापूर्ण यान चलाने के कारण हुई; चूंकि उक्त अपघाती मोटरसाइकिल दुर्घटना की तिथि पर टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ बीमित थी और बीमा कंपनी पॉलिसी की शर्तों का कोई भी उल्लंघन स्थापित नहीं कर सकी, इसलिए बीमा कंपनी दावेदारों को प्रतिकर देने के लिए उत्तरदायी थी।

4. चूंकि उक्त अपघाती वाहन मोटरसाइकिल के बीमाकर्ता ने अधिकरण द्वारा दर्ज किए गए उपरोक्त निष्कर्षों को चुनौती देते हुए आक्षेपित अधिनिर्णय के विरुद्ध कोई अपील दायर नहीं की है, इसलिए अब उसने अंतिम रूप ले लिया है ।

5. अधिकरण ने मोटर यान अधिनियम की धारा 163-अ के तहत द्वितीय अनुसूची में निर्धारित काल्पनिक आय के आधार पर मृतक की आय 15,000/- रुपये प्रति वर्ष आंकी। मृतक के व्यक्तिगत खर्चों के लिए 15,000/- रुपये का 1/3 भाग काटकर, दावेदारों की आश्रितता 10,000/- रुपये प्रति वर्ष आंकी गई। 10,000/- रुपये की वार्षिक आश्रितता को 16 के गुणक से गुणा करके, प्रतिकर की गणना 1,60,000/- रुपये की गई। अन्य मदों के तहत 10,000/- रुपये की अतिरिक्त राशि प्रदान करते हुए, अधिकरण ने मोटर दुर्घटना में अपने पुत्र निर्मल कुमार की मृत्यु के लिए दावेदारों को कुल 1,70,000/- रुपये का प्रतिकर प्रदान किया। अधिकरण ने 1,70,000/- रुपये की उपरोक्त प्रतिकर की राशि पर दावा याचिका दायर करने की तिथि से वास्तविक भुगतान की तिथि तक 7% प्रति वर्ष की दर से ब्याज के भुगतान का भी निर्देश दिया।

6. अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री दीपक जैन ने तर्क दिया कि अधिकरण ने मृतक की आय के बारे में दावेदारों के साक्ष्य को स्वीकार न करके और

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उसकी आय केवल 15,000/- रुपये प्रति वर्ष आंकने में त्रुटि की है; और केवल 1,70,000/- रुपये का न्यूनतम प्रतिकर प्रदान करने में त्रुटि की है ।

7. इसके विपरीत, प्रत्यर्थी क्रमांक 3, टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, जो अपघाती मोटरसाइकिल की बीमाकर्ता है, के विद्वान अधिवक्ता श्री अभिषेक सिन्हा ने अधिनिर्णय का समर्थन किया और तर्क दिया कि चूंकि दावेदारों का पुत्र निर्मल कुमार केवल 16 वर्ष का था, इसलिए अधिकरण द्वारा प्रदान किया गया 1,70,000/- रुपये का प्रतिकर वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में न्यायोचित और उचित प्रतिकर है।

8. एक मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण में, जो महत्वपूर्ण है वह यह है कि न्यायालयों/अधिकरणों द्वारा दिया जाने वाला प्रतिकर मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में न्यायोचित और उचित होना चाहिए। प्रतिकर की यह राशि न तो बहुत कम होनी चाहिए, और न ही कोई अप्रत्याशित लाभ के रूप में।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. अब हम यह परीक्षण करेंगे कि क्या अधिकरण द्वारा प्रदान किया गया 1,70,000/- रुपये का प्रतिकर वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में न्यायोचित और उचित प्रतिकर है।

10. सत्य है, दावेदारों ने अभिवचन किया कि उनका पुत्र निर्मल कुमार लगभग 19 वर्ष का था और गांव में किराना दुकान चलाकर 4,000/- रुपये प्रति माह कमाता था, लेकिन मृतक के उक्त व्यवसाय और 4,000/- रुपये प्रति माह की आय को स्थापित करने के लिए अधिकरण के समक्ष कोई ठोस और विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। इसलिए, हमें मृतक की आय के बारे में दावेदारों के साक्ष्य को अस्वीकार करने के अधिकरण के दृष्टिकोण में कोई दोष नहीं दिखता है।

11. मृतक की आय के बारे में दावेदारों के साक्ष्य को अस्वीकार करते हुए, अधिकरण ने मोटर यान अधिनियम की धारा 163-ए के तहत द्वितीय

अनुसूची में निर्धारित काल्पनिक आय के आधार पर मृतक की आय 15,000/- रुपये प्रति वर्ष आंकी है ।

12. अधिनियम की धारा 163-ए, जिसके तहत वर्ष 1994 में द्वितीय अनुसूची प्रस्तुत की गई थी, इस प्रकार है:

"[**163ए. संरचित सूत्र के आधार पर प्रतिकर के भुगतान के लिए विशेष प्रावधान।**- (1) इस अधिनियम में या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में या विधि का बल रखने वाले किसी लिखत में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, मोटर यान का मालिक या अधिकृत बीमाकर्ता, मोटर यान के उपयोग से उत्पन्न दुर्घटना के कारण मृत्यु या स्थायी निशक्तता के मामले में, जैसा भी मामला हो, विधिक वारिसों या पीड़ित को, द्वितीय अनुसूची में उपदर्शित अनुसार प्रतिकर देने के लिए उत्तरदायी होगा।

स्पष्टीकरण इस उप-धारा के प्रयोजनों के लिए, "स्थायी निशक्तता" का वही अर्थ और विस्तार होगा जो कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम, 1923 (1923 का 8) में है।

(2) उप-धारा (1) के तहत प्रतिकर के किसी भी दावे में, दावेदार को यह अभिवचन करने या स्थापित करने की आवश्यकता नहीं होगी कि जिस मृत्यु या स्थायी निशक्तता के संबंध में दावा किया गया है, वह संबंधित यान या वाहनों के मालिक या किसी अन्य व्यक्ति के किसी भी सदोष कार्य या उपेक्षा या चूक के कारण हुई थी।

(3) केंद्र सरकार, जीवन निर्वाह लागत को ध्यान में रखते हुए, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, समय-समय पर द्वितीय अनुसूची में संशोधन कर सकती है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

13. अधिनियम की धारा 163-ए की उपरोक्त उद्धृत उप-धारा (3) केंद्र सरकार को जीवन निर्वाह लागत को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर द्वितीय अनुसूची में संशोधन करने का अधिदेश देती है ।

14. चूंकि केंद्र सरकार अधिनियम की धारा 163-ए की उप-धारा (3) में प्रावधानित द्वितीय अनुसूची में संशोधन करने में विफल रही है, न्यायालय/अधिकरण वर्ष 1994 में द्वितीय अनुसूची की शुरूआत और किसी दिए गए मामले में दुर्घटना की तिथि के बीच की अवधि के दौरान आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि और जीवन निर्वाह लागत का न्यायिक संज्ञान ले सकते हैं ।

15. अब वर्तमान मामले पर वापस आते हुए, वह दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना जिसमें मृतक निर्मल कुमार की जान गई, वर्ष 2005 में हुई थी। यदि वर्ष 1994 और वर्ष 2005 के बीच आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि और जीवन निर्वाह लागत को ध्यान में रखा जाए, तो वर्ष 1994 में द्वितीय अनुसूची में निर्धारित 15,000/- रुपये की काल्पनिक आय निश्चित रूप से वर्ष 2005 में 36,000/- रुपये हो जाएगी। इसलिए, हम मृतक की आय 36,000/- रुपये प्रति वर्ष मानते हुए प्रतिकर की पुनर्गणना करने का प्रस्ताव करते हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

16. यह देखते हुए कि मृतक निर्मल कुमार दुर्घटना की तिथि पर अविवाहित थे, हम मृतक की आय का 50% उसके व्यक्तिगत खर्चों के लिए काटना उचित समझते हैं, ***यह सैयद बशीर अहमद और अन्य बनाम मोहम्मद जमील और अन्य* (2009) 2 सुप्रीम कोर्ट केसेस 225 और *सरला वर्मा (श्रीमती) और अन्य बनाम दिल्ली परिवहन निगम और अन्य*, (2009) 6 एससीसी 121** के मामलों में शीर्ष न्यायालय के निर्णयों के मंतव्य के आलोक में है। अतः, मृतक के व्यक्तिगत खर्चों के लिए 36,000/- रुपये का 50% काटकर दावेदारों की आश्रितता 18,000/- रुपये प्रति वर्ष आंकी जाती है ।

17. चूंकि दावेदार मृतक निर्मल कुमार के माता-पिता हैं, हमारी राय में, वर्तमान मामले में 10 का गुणक उचित होगा, यह ***म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ ग्रेटर बॉम्बे बनाम लक्ष्मण अय्यर और अन्य*, (2003) 8 एससीसी-731** के मामले में शीर्ष न्यायालय के निर्णय के आलोक में है, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि उन मामलों में जहां दावेदार मृतक के माता-पिता हैं, गुणक कभी भी 10 से अधिक नहीं होना चाहिए ।

18. 18,000/- रुपये की वार्षिक आश्रितता को 10 के गुणक से गुणा करने पर प्रतिकर 1,80,000/- रुपये बनता है। दावेदार अंतिम संस्कार व्यय के लिए 5,000/- रुपये और संपदा की हानि के लिए 5,000/- रुपये प्राप्त करने के भी हकदार हैं। इस प्रकार, दावेदार मोटर दुर्घटना में अपने पुत्र निर्मल कुमार की मृत्यु के लिए प्रतिकर के रूप में कुल 1,90,000/- रुपये प्राप्त करने के हकदार हो जाते हैं ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

19. दावेदारों को 20,000/- रुपये की बढ़ी हुई प्रतिकर राशि पर ब्याज की निर्धारित राशि के रूप में 5,000/- रुपये की राशि और प्रदान की जाती है ।

20. उपरोक्त कारणों से, प्रतिकर में वृद्धि के लिए अपीलार्थीगण/दावेदारों द्वारा दायर अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अधिकरण द्वारा प्रदान किए गए 1,70,000/- रुपये के प्रतिकर को बढ़ाकर 1,90,000/- रुपये किया जाता है, साथ ही 20,000/- रुपये की बढ़ी हुई प्रतिकर राशि पर 5,000/- रुपये की अतिरिक्त ब्याज राशि निर्धारित की जाती है ।

21. प्रत्यर्थी क्रमांक 3, टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को संबंधित दावा अधिकरण के समक्ष कुल 25,000/- रुपये (मात्र पच्चीस

हजार रुपये) (बढ़ी हुई प्रतिकर राशि के लिए 20,000/- रुपये + 20,000/- रुपये की बढ़ी हुई प्रतिकर राशि पर ब्याज की निर्धारित राशि के लिए 5,000/- रुपये) जमा करने के लिए तीन महीने का समय दिया जाता है ।

22. व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं किया जा रहा है।

हस्ताक्षर/- हस्ताक्षर/-

मुख्य न्यायाधीश आर.एन. चंद्राकर

न्यायाधीश

<u>अस्वीकरणः</u>

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated By _____ MANISH CHANDRAKAR